



निर्वाचन का सचालन नियम ३६।

प्रृष्ठा—२६

(विषय ४ के देखिए)

10AA 477779

### उत्तराखण्ड विधान सभा

निर्वाचन केंद्र से

(निर्वाचन होत्र का नाम)

(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आकिसर के समूह अभ्यर्थी  
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ—पत्र।

मेरे द्वितीय अधिकारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. अंगतान लिंग वर्ग

आमु. २७ वर्ष जो इहान् कालिन दोष विद्वान् देहराजा  
जा/की निर्वाची है और उपरोक्त निर्वाचन में अम्बर्धी है सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता है/ यक्ती है/ शपथ पर  
निम्नलिखित लक्षण करता है/ करती है:-

मैं ऐसे किसी विकल भावले मैं दो वर्ष या अधिक के कालावास से दडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की  
अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सबसम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अकिसाडी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत  
करेगा/करेगी) :-

- (i) मानवा / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएँ \_\_\_\_\_ नहीं
- (ii) पुलिस धारा (धारा) \_\_\_\_\_ जिला या जिले \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_
- (iii) संवैधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण  
जिसके (जिनके) लिए अन्यार्थी आरोपित किया गया है \_\_\_\_\_
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विवरता की गई \_\_\_\_\_
- (v) तारीख(तारीखी) जिनको आरोप विशेषित किया गया था/ किए गए थे \_\_\_\_\_

(vi) वया सभी या कोई कार्यवाही किसी सज्जन अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं।

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की वारा 8 की उपचारा (1) या उपचारा (2) में निर्दिष्ट या उपचारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निन्म के लिए फिल्डोफ डहराया जाता है/नहीं रहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से बंदादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त लाप में सिद्धदोष रहराया गया और बंदादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

- (i) नामला/प्रथम नूबना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ \_\_\_\_\_  
(ii) न्यायालय, जिसने बंदित किया है \_\_\_\_\_  
(iii) पुलिस घाना (धाने) \_\_\_\_\_ घिला (जिले) \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_  
(iv) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की वारा (घाराए) और उस अपराध (उन अपराधों) का सुनिश्चित विवरण जिसके (जिनके) लिए अध्यर्थी कभी जारीप्रित किया गया है \_\_\_\_\_ 2A  
(v) तारीख (तारीख) जिनको बंदादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे \_\_\_\_\_  
(vi) वया बंदादेश सज्जन अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं \_\_\_\_\_

स्थान :-

अभिसाक्षी के इस्ताबर  
*Bhuwan Kumar*  
10.01.2017

तारीख :-

-2-

Digitized by srujanika@gmail.com

*S. Bhuwan Kumar*


Digitized by srujanika@gmail.com

21/01/2017  
11/01

## सत्यापन

मैं, कृपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घंटिल करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अन्तर्वेदन  
मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और शाही है और इसका कोई भाग निष्ठा नहीं है और कोई  
लातिक बात छिपायी नहीं गई है।

दस्तावेज स्थान पर आज तारीख 10 - 01 - 2012 के सत्यापित किया।

  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रकल्प के बे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिया जाए।



State Election Commission before me D.P.  
Shri S. L. Thakur  
District Election Officer  
Jharkhand  
State Election Commission  
10/1/12